बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

स्वीकृत्यादेश

पत्रांकः यो09/S.H.A-05/2023 - 198 (स्वी0) /यो0वि0,पटना, दिनांक 22 मार्च, 2025

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषयः **वित्तीय वर्ष 2024–25 में मुख्यमंत्री निश्चय स्वंय सहायता भत्ता योजना अंतर्गत संबंधित जिला योजना पदाधिकारी को मो0 29,80,000/– (उनतीस लाख अस्सी हजार) रूपये की व्यय एवं विमुक्ति की स्वीकृति।**

राज्य सरकार के सुशासन के कार्यक्रम 2015–20 के अंतर्गत विकसित बिहार के लिए सरकार के सात निश्चय के अंतर्गत मुख्यमंत्री निश्चय स्वंय सहायता भत्ता योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2016–17 से किया जा रहा है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक जिला में जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र स्थापित है जहाँ पर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वंय सहायता भत्ता योजना तथा कुशल युवा कार्यक्रम से संबंधित आवेदकों का निबंधन एवं उनके कागजातों का सत्यापन का कार्य किया जा रहा है।

2. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–955 दिनांक–15.12.2020 द्वारा इस योजना को आगे भी जारी रखने का निर्णय सैद्धांतिक रूप से लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा लिए गए सैद्धांतिक निर्णय के आलोक में योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–1141 दिनांक–23.03.2021 द्वारा मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को अगले पाँच वर्षों (2021–22 से 2025–26) तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है।

3. जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के संचालन हेतु बिहार विकास मिशन द्वारा संविदा के आधार पर प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, Single Window Operator एवं Multi Purpose Assistant की सेवाएं उपलब्ध करायी गयी है।

4. राज्य स्तर पर आवेदकों की समस्या के त्वरित समाधान हेतु जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, पटना में कॉल सेंटर की स्थापना की गयी है जिसमें एक Toll Free No., 4 PRI Line एवं एक Leased Line वर्तमान में कार्यरत है। साथ ही जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र में अधिष्ठापित Telephone के विपत्रों के भुगतान किया जाता है।

5. जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र की साफ–सफाई एवं अन्य व्यवस्थाएं Outsourcing के आधार पर किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र की सुरक्षा हेतु गृह रक्षा वाहिनी की सेवाएं ली गयी है, जिसके मानदेय का भुगतान संविदा सेवाएं मद में आवंटित राशि से नियमानुसार की जायेगी।

6. जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के संचालन में अधिष्ठापित विद्युत उपकरणों पर होने वाले विद्युत व्यय का भुगतान विद्युत मद की राशि से नियमानुसार की जायेगी।

7. विमुक्त की गयी राशि का व्यय जिला योजना पदाधिकारी द्वारा जिला पदाधिकारी से आदेश प्राप्त कर की जाएगी।

8. इस पर होने वाला व्यय मांग संख्या–35–योजना एवं विकास विभाग, मुख्य शीर्ष–2235, समाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्यशीर्ष–60–अन्य समाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लधुशीर्ष–200–अन्य कार्यक्रम, उपशीर्ष–0117–मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना, विपत्र कोड 35-2235602000117 के संबंधित विषय शीर्ष के तहत विकलनीय होगा।

9. उपर्युक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024–25 में कार्यालय व्यय, दूरभाष, विद्युत प्रभार, प्रशिक्षण, अनुरक्षण एवं मरम्मति मद तथा संविदा सेवाएं मद में संबंधित जिला योजना पदाधिकारी के नाम के संमुख अंकित राशि स्वीकृत करते हुए कुल 29,80,000/– (उनतीस लाख अस्सी हजार) रूपये मात्र की राशि के व्यय एवं विमुक्ति की स्वीकृति दी जाती है :–

P.T.O.

क्र0	जिला का नाम	विस्तृत शीर्ष–13 विषय शीर्ष–01 मद का नाम– कार्यालय व्यय	विस्तृत शीर्ष–13 विषय शीर्ष–03 मद का नाम– दूरभाष	विस्तृत शीर्ष–13 विषय शीर्ष–04 मद का नाम– विघुत प्रभार	विस्तृत शीर्ष–28 विषय शीर्ष–02 मद का नाम– संविदा सेवाएँ	कुल आवंटित राशि
1	अरवल	600000	10000	0	0	610000
2	भभुआ (कैमुर)	250000	0	0	0	250000
3	बेगूसराय	1000000	0	0	400000	1400000
4	बांका	450000	0	0	0	450000
5	मोतिहारी	0	15000	0	0	15000
6	खगड़िया	0	5000	250000	0	255000
कुल		2300000	30000	250000	400000	2980000

(उनतीस लाख अस्सी हजार रूपये)

10. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला योजना पदाधिकारी होंगे।

11. उक्त राशि की निकासी संबंधित विषय शीर्ष अन्तर्गत पूर्व निर्गत ओदश के अनुरूप ही खर्च होंगे। राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में अन्य विषय शीर्ष के तहत नहीं किया जाएगा।

12. आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह 5वीं तारीख तक जिला योजना पदाधिकारी अनिवार्य रूप से विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

13. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

14. उपर्युक्त राशि के निकासी एवं भुगतान के प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

20.3.25

(हिमांशु कुमार राय)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः यो09/S.H.A-05/2023 - 198 (स्वी.) /यो0वि0,पटना, दिनांक 22 मार्च, 2025
प्रतिलिपिः संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.3.25
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः यो09/S.H.A-05/2023 - 198 (स्वी.) /यो0वि0,पटना, दिनांक 22 मार्च, 2025
प्रतिलिपिः विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/सहायक निदेशक –सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, योजना एवं विकास विभाग/विभागीय लेखा एवं बजट शाखा/आई0टी0 मैनेजर, योजना एंव विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.3.25
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः यो09/S.H.A-05/2023 - 198 (स्वी.) /यो0वि0,पटना, दिनांक 22 मार्च, 2025
प्रतिलिपिः संबंधित क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी/संबंधित जिला योजना पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.3.25
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः यो09/S.H.A-05/2023 - 198 (स्वी.) /यो0वि0,पटना, दिनांक 22 मार्च, 2025
प्रतिलिपिः संबंधित जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.3.25
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः यो09/S.H.A-05/2023 - 198 (स्वी.) /यो0वि0,पटना, दिनांक 22 मार्च, 2025
प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

22.3.25
सरकार के विशेष सचिव

941